अपराध | दहशत के साए में पीड़ित, गवाह को मिल रही धमकी

जेल से जमानत पर छूटते ही अपराधी मचा रहे तांडव

नवभारत, जबलपुर । शहर में जेल से जमानत पर छूटे बदमाशों ने खौफ का तांडव फैला आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। गंभीर अपराधों में सलाखों के पीछे जाने वाले ये शातिर अपराधी कानूनी दांव-पेंच के सहारे जल्द ही बाहर आ रहे हैं और जेल की दहलीज लांघते ही ये बदमाश शहर में अपनी दहशत और रसूख कायम करने के लिए सरेआम उत्पात मचा रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि अपराधी जेल से छूटने के बाद न केवल पुन: वारदातों को अंजाम दे रहे है बल्कि जमानत पर बाहर आते ही सबसे पहला निशाना वे पीड़ित और गवाह बनते हैं, जिनकी वजह से ये जेल गए थे। आरोपी सरेआम पीड़ितों डरा-धमका रहे हैं। कोर्ट से केस वापस न लेने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इस वजह से कई पीड़ित खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं ।

मॉनिटरिंग लचर, मौका पाते ही वारदात

जेल से रिहा होने वाले अपराधियों की जैसी सख्त मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वैसी धरातल पर नहीं हो पाती। थानों में स्टाफ की कमी, तकनीकी कमियों के कारण इन हिस्ट्रीशीटरों की हरकतों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। इसी कमजोर कड़ी का फायदा उठाकर ये अपराधी मौका पाते ही नई वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं।

रासुका-तड़ीपार कार्रवाई भी बेअसर

ऐसे आदतन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार प्रतिबंधात्मक धाराएं लगाई जाती है ।बड़े बदमाशों के खिलाफ जिला बदर (तड़ीपार) और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) जैसी कड़ी कार्रवाई भी होती है लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन अपराधियों में कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। जेल से बाहर आते ही इनका पुराना ढर्रा फिर शुरू हो जाता है।

नासूर बने चाकूबाज

शहर में चाकूबाज नासूर बन चुके है। चाकूबाजी की वारदातों की 1 जनवरी से 23 मई 2026 तक हुई समीक्षा में भी यह बात साफ हुई थी कि जमानत पर जेल से रिहा होने वाले आरोपियों में दोबारा अपराध करने की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है। जेल से छूटते ही कई बदमाशों ने फिर से चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया है।

इन्होंने जेल से छूट की वारदातें

हत्या कांड में जेल से छूटे कुख्यात बदमाश शिब्बू ने 2 फरवरी को गढ़ा बेदी नगर में चौबीस घंटे के भीतर दो गोलीकांड किए ।गोहलपुर लेमा गार्डन में 24 मार्च को जमानत पर जेल से छूटे दुष्कर्म के आरोपित सलमान ने पीड़ित को केस वापिस लेने, गवाही न देने का दबाव बनाया। गोहलपुर थाना अंतर्गत रामनगर में छेड़छाड़ के मामले में जेल छूटे आरोपी सोहेल उर्फ बाबा ने 26 मार्च को अपने साथी के साथ मिलकर एक युवती के घर पर पथराव किया ।27 फरवरी को रांझी थाना अंतर्गत पुराना शोभापुर में जमानत पर जेल से छूटे प्रवीण रजक, शांटू यादव और अनिल सोनी ने गवाह को धमकाया बल्कि हमले की कोशिश की ।19 जनवरी को धोखाधड़ी-दुष्कर्म प्रकरण में जेल से जमानत पर बाहर निकले रेपिस्ट शांतनु घोष ने धनवंतरीनगर निवासी पीड़िता को धमकाया ।जेल से जमानत पर निकले सत्यम कोरी ने 6 मार्च को गढ़ा थाना क्षेत्र में युवती को रास्ते में रोककर केस वापस लेने का दबाव बनाया। रिपोर्ट वापस नहीं लेने पर हत्या की धमकी दी । 17 अप्रैल को गढ़ा थाना थाना अंतर्गत चिकनी कुआं में काला हत्याकांड में आरोपित मुर्गी उर्फ महेन्द्र ने पीड़ित को पक्ष में गवाही देने धमकाया। 29 मई को रांझी थाना अंतर्गत शोभापुर में रासुका से छूटे पवन रजक एवं उसके भाई प्रवीण रजक व गुर्गों के साथ मिलकर दहशतगर्दी फैलाई थी। घर व शराब दुकान में बमबाजी की थी।

जीआरपी की सतर्कता से बरामद हुआ मोबाइल

जबलपुर, नवभारत। रेल यात्रियों की सुरक्षा एवं सहायता हेतु जीआरपी जबलपुर द्वारा निरंतर सतर्कता एवं तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में फरियादी सक्षम सोनी पिता धीरज सोनी, 18 वर्ष, निवासी जालपा वार्ड, कटनी का मोबाइल फोन ट्रेन क्रमांक 18233 नर्मदा एक्सप्रेस के कोच एस-9 में छूट गया था ।सूचना प्राप्त होने पर थाना जीआरपी जबलपुर के पेट्रोलिंग गार्ड प्रधान आरक्षक 361 मोहम्मद शकील एवं आरक्षक 345 अनिल यादव द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए मोबाइल की तलाश की गई। अथक प्रयासों एवं सूझबूझ से मोबाइल फोन को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। बरामद मोबाइल को विधिवत सत्यापन उपरांत उसके वास्तविक स्वामी सक्षम सोनी को सुपुर्द किया गया। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस प्राप्त कर फरियादी एवं उसके परिजनों ने जीआरपी जबलपुर की तत्परता एवं सराहनीय कार्यवाही के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

ननि जनसुनवाई : विवाद सुलझे, चेहरों पर लौटी मुस्कान

जबलपुर। नगर निगम मुख्यालय और सभी संभागीय कार्यालयों में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई नागरिकों के लिए राहत भरी साबित हुई। मुख्यालय में आयोजित सुनवाई के दौरान अपर आयुक्त अशफाक परवेज कुरैशी ने लगातार दो घंटे तक नागरिकों की समस्याओं को सुना और प्राप्त सभी 59 आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर सभी आवेदक काम कराकर चेहरों पर मुस्कान लेकर लौटे। जनसुनवाई में आज कुल 59 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 5 प्रकरण आपसी विवाद के चिन्हित कर प्रकरणों को कछपुरा संभाग स्थित सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र में समझौते के लिए भेजे गए, जहाँ पर दो प्रकरणों में आपसी सहमति से विवाद समाप्त हुआ। इस प्रकार कछपुरा संभाग के मध्यस्थता केन्द्र में राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत प्रशिक्षित सामुदायिक मध्यस्थ के द्वारा एक बार फिर मानवता और आपसी समझदारी की मिसाल पेश की। केंद्र की सकारात्मक पहल से दो पक्षों के बीच चल रहा पुराना गतिरोध पूरी तरह समाप्त हो गया। इस संबंध में सामुदायिक मध्यस्था केन्द्र के

प्रभारी अधिकारी श्रीमती अंकिता जैन एवं नोडल अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनो प्रकरण में जल समस्या तथा झाड़ झंकाड़ की छटाई आदि से संबंधित थे। इन दोनों पर त्वरित कार्यवाही कर आपसी सहमति के साथ दोनो प्रकरणों का निप्टारा मीडियेटर सानिध्य उपाध्याय और श्रीमती पूनम यादव ने मध्यस्था केन्द्र के माध्यम से कराया गया। आवेदिका अरुणा शर्मा एवं आवेदक गौरव रजक के बीच कुछ मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका आवेदन मध्यस्थता केंद्र में लंबित था। आज काउंसलिंग और मध्यस्थता के दौरान दोनों पक्षों ने खुले दिल से एक-दूसरे की बात सुनी। केंद्र के प्रयासों और सौहार्दपूर्ण वातावरण का असर यह हुआ कि दोनों पक्षों ने अपनी सभी समस्याओं का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कर लिया। विवाद सुलझने के बाद दोनों ही पक्ष बेहद खुश और संतुष्ट नजर आए। वर्षों की कड़वाहट को भूलकर जब दोनों ने एक-दूसरे से मुस्कुराकर बात की, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल भर आया। प्रसन्नता के इस ऐतिहासिक क्षण में मध्यस्थता केंद्र के सदस्यों द्वारा श्रीमती अरुणा शर्मा और गौरव रजक को पुष्पगुच्छ भेंट कर और फूलमाला पहनाकर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। कछपुरा संभाग में दोनों पक्षों ने जिस समझदारी का परिचय दिया है, वह समाज के लिए एक प्रेरणा है। इस सफल निराकरण ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर हृदय साफ हो और बातचीत का माहौल सकारात्मक हो, तो बड़े से बड़े विवाद को भी आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है।

ऑटो में तोड़फोड़, कार्यालय में चोरी

जबलपुर। ओमती थाना अंतर्गत सत्कार भवन घंटाघर बड़ी ओमती में चोरों ने पहले एक ऑटो में तोड़फोड़ की इसके बाद कार्यालय में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर सीसीटीव्ही कैमरे में कैद हो गए है जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है । पुलिस के मुताबिक सुधीर बुधरानी निवासी अनंतारा मंडला रोड विजन महल पैलेस के सामने गोराबजारकी सुधीर लाईफ साईंस प्रायवेट लिमिटेड नाम से सत्कार भवन घंटाघर बड़ी ओमती में कार्यालय है। गत शाम लगभग 7-30 बजे वे अपना कार्यालय बंद कर घर चले गए थे। सुबह लगभग 10-30 बजे कार्यालय खोलने उसका कर्मचारी राकेश कनोजिया पहुंचा । दुकान का शटर खोला और अंदर जाकर देखा तो अंदर शेड के पास टूटी हुयी थी छोटी छोटी जगह जले हुये कागज के टुकड़े दिखे और ड्राअर टूटे एवं खुले हुये मिले। जानकारी लगते ही सुधीर पहुंचा तो देखा अज्ञात चोर उसकी फर्म के पीछे से शेड का गेट को तोड़कर फर्म के अंदर घुसकर वहीं खड़ी आटो क्रमांक एमपी 20 एलबी 4093 में तोड़फोड़ कर आटो के टूल्स, एसेसरीज, पानी के नल की टोटी, व नगदी राशि चोरी कर ले गया फर्म में लगे सीसीटीव्ही चैक करने पर रात लगभग 10-20 बजे अज्ञात चोर दिखाई दे रहा है।

महापौर व विधायक ने खुशहाली, अच्छी बारिश की लगाई अर्जी

हनुमान, शिव शंकर एवं भगवान इन्द्र का किया पूजन

जबलपुर। संस्कारधानी में अच्छी बारिश और प्रत्येक घरों में खुशहाली आए की कामना को लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी एवं निगमाध्यक्ष रिंकू विज ने शहर के प्रमुख जलाशयों में से एक परियट जलाशय के पास स्थित सर्वप्रथम हनुमान जी, शिव शंकर जी के पूजन उपरांत भगवान इन्द्र देव का पूजन किया और शहर की सुख, समृद्धि के लिए भरपूर वर्षा की प्रार्थना की। इस अवसर पर

महापौर अन्नू ने परियट जलाशय का सघन अवलोकन किया एक छोर से आखरी छोर तक निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से आवश्यक चर्चा की। महापौर ने परियट जलाशय के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक सुधार कार्य कराने के भी निर्देश दिए। महापौर जगत बहादुर सिंह ने बताया कि शहर में मानसून का सीजन आ चुका है। उन्होंने कहा कि मनसून के तहत् लगातार अच्छी बारिश हो और सभी घरों में खुशहाली बनी रहे इसके लिए भगवान की विधि विधान से पूजन अर्चन करते हुए प्रार्थना की। इस अवसर पर विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने प्रार्थना की कि मां नर्मदा और पारियट जलाशय लबालब हो जाए।

बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस में लगे अतिरिक्त कोच

जबलपुर, नवभारत। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली गाड़ी संख्या 18247/18248 बिलासपुर-रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस में 19 जून से अस्थायी रूप से दो अतिरिक्त सामान्य कोच की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये उपलब्ध कराये गये दो अतिरिक्त सामान्य कोचों की सुविधा की अवधि बढ़ा दी गई है। अब गाड़ी संख्या 18247 बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस में 25 जून तक तथा गाड़ी संख्या 18248 रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस में 26 जून तक अस्थायी रूप से दो अतिरिक्त सामान्य कोचों की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

सरकार कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम के लिए संयुक्त प्रयास करें

कान्हा नेशनल पार्क में टाइगरों की मौत के मामले में हाईकोर्ट सख्त

जबलपुर। कान्हा नेशनल पार्क में बाघों की मौत हो चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। याचिका में कहा गया है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित मापदंड का पालन नहीं किया जाने के कारण बाघों की मौत में इजाफा हुआ है। हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस बीपी शर्मा की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए केन्द्र व राज्य सरकार को निर्देशित है कि बाघों की सुरक्षा के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों करें। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की रोकथाम के लिए डॉग के कोरेंटाइन किया जाये। युगलपीठ ने निर्धारित मापदंड के परिपालन तथा दिये गये निर्देश के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई 9 जुलाई को निर्धारित की गयी है।

मुम्बई के चेम्बूर निवासी अधिवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की मौत हो रही है। अप्रैल माह में कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन टी-122 (सुनैना) और बाघिन टी-141 (अमाही) तथा उसके चार अर्धवयस्क शावक की मौत हो गयी। रिपोर्ट के अनुसार मौतों से पहले उनकी शारीरिक स्थिति में स्पष्ट गिरावट देखी गयी गयी। इन मौतों का कारण संदिग्ध कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीव्ही) माना गया। एक और युवा नर बाघ टी-220 ('महावीर') की भी 19 मई 2026 को मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु का कारण संभावित सीडीव्ही बताया गया है। इसी समय-सीमा के दौरान दो वयस्क नर बाघों की बालाघाट और किसली क्षेत्रों में मृत पाए गए। अकेले कान्हा टाइगर रिजर्व में ही एक महीने के समय में आठ वाघों की मौत हुई है।

याचिका में कहा गया था कि कान्हा टाइगर रिजर्व में प्रायलुप्त रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी की सुरक्षा करना है। इसके लिए

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 ,प्रोजेक्ट टाइगर व एनटीसीए दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत बाघों की मौतों की वैज्ञानिक निगरानी, रोग निगरानी और जांच को नियंत्रित करने वाले वैधानिक और प्रशासनिक ढांचे का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए बाध्यकारी मानक और परिचालन निर्देशों का पालन करना है। जिनमें निगरानी, रोग निगरानी, पशु चिकित्सा सेवाएँ, और 'अविभाज्य' मुख्य आवासों के प्रबंधन से संबंधित निर्देश शामिल हैं।

याचिका में कहा गया है कि टाइगर रिजर्व के भीतर सीटीव्ही से बाघों की मृत्यु होने के बावजूद भी वर्तमान जारी है। इसके बावजूद भी निगरानी, जैव-सुरक्षा और इंटरफेस-प्रबंधन उपायों की पूर्ण प्रकृति, सीमा और कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। निर्धारित प्रोटोकॉल के दिशानिर्देशों वैधानिक दायित्वों के अनुरूप बनाये गये है। याचिका में राहत चाही गयी है कि निवारण और निगरानी संबंधी उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाये। याचिका में केंद्रीय पर्यावरण सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण,प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा डायरेक्टर कान्हा टाइगर रिजर्व को अनावेदक बनाया गया है। याचिका की सुनवाई करते हुए युगल पीठ ने उक्त आदेश जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अंशुमान सिंह तथा तथा अधिवक्ता प्रतीक रूसिया ने पैरवी की।

कचरा डंपिंग यार्ड के पास मिला शव

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत व्हीकल मोड़ स्थित शोभापुर मरघटाई कचरा डंपिंग के पास एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद हुआ। शव बुरी तरह सड़ चुका था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात शोभापुर मरघटाई कचरा डंपिंग क्षेत्र के पास से गुजर रहे राहगीरों को अचानक तीव्र दुर्गंध आई। जब लोगों ने कचरे के ढेर के पास जाकर देखा, तो वहां एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। शव की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि उस पर इल्लियां

रेंग रही थीं। राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की। मृतक की पहचान न होने के कारण शव को पोस्टमार्टम के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया है।

शिनाख्त के प्रयास, पीएम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

पुलिस मृतक की शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है। इसके लिए आसपास के थानों को सूचना दे दी गई है, साथ ही हाल ही में दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत किन परिस्थितियों में हुई है। फिलहाल पुलिस हर संभावित एंगल से मामले की विस्तृत तफ्तीश कर रही है।

तीन वर्षों से फरार आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर, नवभारत। जीआरपी थाना जबलपुर द्वारा 03 वर्ष से फरार चल रहे 3 हज़ार रुपये के इनामी आरोपी को सफलता पूर्वक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक रेल के निर्देशन एवं अति पुलिस अधीक्षक रेल व उप पुलिस अधीक्षक रेल के मार्गदर्शन में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना जीआरपी जबलपुर को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। बता दे कि आरोपी अजय मिश्रा उर्फ लल्ली पिता शिवप्रसाद मिश्रा, 26 वर्ष, निवासी ब्राह्मण टोला, रामपुर बघेलान, सतना विगत लगभग 03 वर्षों से फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु उस

पर 3,000 रुपये का इनाम घोषित था। जिसे जीआरपी जबलपुर पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन क्षेत्र में की जा रही निगरानी एवं चेकिंग के दौरान आरोपी को हिरासत में लिया गया। आवश्यक पूछताछ एवं वैधानिक कार्यवाही उपरांत आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

जीआरपी ने अपहृत बालिका को सुरक्षित परिजनों को सौंपा

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की सतर्कता एवं संवेदनशील कार्यवाही के चलते एक अपहृत बालिका को सुरक्षित उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया ।जीआरपी जबलपुर से मिली जानकारी के अनुसार थाना बिछिया, जिला मंडला के अंतर्गत अपहृत बालिका 14 वर्ष को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी स्टाफ द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में लिया गया। जिसके संबंध में थाना बिछिया से प्रधान आरक्षक अजीत परते एवं एसएसयू के राकेश कुशराम जबलपुर पहुंचे। जिस के बाद आवश्यक वैधानिक कार्यवाही एवं पहचान सत्यापन उपरांत बालिका को उसके पिता सूरज पाण्डेय निवासी ग्राम मेहताल, थाना बिछिया, मंडला के सुपुर्द किया गया।

मप्रविकसं फेडरेशन ने उठाई संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की मांगें

नवभारत, जबलपुर। मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कर्मचारियों के नियमितीकरण, आरक्षण, पेंशन और विसंगतियां दूर करने जैसी विभिन्न प्रमुख मांगें उठाई गईं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी. पी. पाठक ने कहा कि संगठन संविदा, आउटसोर्स, नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याओं के हल के लिए एकजुट होकर लगातार काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि बिजली सेक्टर में 20 वर्षों बाद नए फ्रिंज बेनिफिट स्वीकृत हुए हैं और लंबे समय बाद नवीन ओएस में 51 हजार से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की मंजूरी मिली है। पाठक ने नई भर्तियों में संविदा कर्मियों को बिना शर्त नियमित करने, संविदा नीति 2023 सभी कंपनियों में लागू करने और 15 वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2000 से 2012 के बीच मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने, धारा 49 समाप्त कर केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने और तकनीकी आउटसोर्स कर्मियों का 20 लाख का बीमा कराने पर जोर दिया। सम्मेलन में नियमित कर्मचारियों को पदोन्नति देने, तीन विद्युत कंपनियों में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के लगभग एक हजार संविदा कर्मियों के लिए गृह जिला कंपनी स्थानांतरण नीति बनाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने का आग्रह किया गया। पदाधिकारियों ने संविदा अनुकंपा नीति की कमियां दूर करने, शेष 650 परीक्षण सहायकों को नियमित करने और पेंशनर्स को बिना भेदभाव बिजली सुविधा देने की बात कही। इसके साथ ही बिजली दुर्घटनाओं से होने वाली अकाल मृत्यु पर रोक लगाने और कंपनी कैडर कार्मिकों को 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन की जगह नियुक्ति दिनांक से ही समान कार्य समान वेतन के तहत पूरा वेतन देने की मांग की गई। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद द्वारा महंत की उपाधि मिलने पर क्षेत्रीय सचिव उमाशंकर दुबे का शॉल, श्रीफल व सम्मान पत्र भेंटकर सम्मान किया गया।

महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने किया सम्मानित

जबलपुर, नवभारत। रेल परिचालन में संरक्षा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है सजगता एवं बेहतर संरक्षा कार्य में सहभागिता निभाने वाले रेल संरक्षा के सजग प्रहरी कर्मचारियों का सम्मान महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा हर माह आयोजित संरक्षा बैठक के दौरान किया जाता है । इसी कड़ी मे मंगलवार 23 जून को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत संरक्षा कोटि के 05 कर्मचारियो को उनके उत्कृष्ट एवं सराहनीय संरक्षा संबंधी कार्य निष्पादन के लिए महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के द्वारा सम्मानित किया गया।

सफलता | रेल यात्रियों एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध जीआरपी

प्रयागराज से भागा बालक, जीआरपी ने जबलपुर में पकड़ा

जबलपुर, नवभारत। जीआरपी जबलपुर द्वारा घर से निकले किशोर को सुरक्षित परिजनों से मिलाया गया। रेल यात्रियों एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध जीआरपी जबलपुर द्वारा एक सराहनीय कार्यवाही करते हुए घर से निकले एक किशोर को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बता दे कि जीआरपी कंट्रोल जबलपुर से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रेन क्रमांक 12321 हावड़ा-मुंबई मेल के कोच एस-11, बर्थ क्रमांक 63 पर एक नाबालिग बालक अकेला यात्रा कर रहा है। सूचना प्राप्त होते

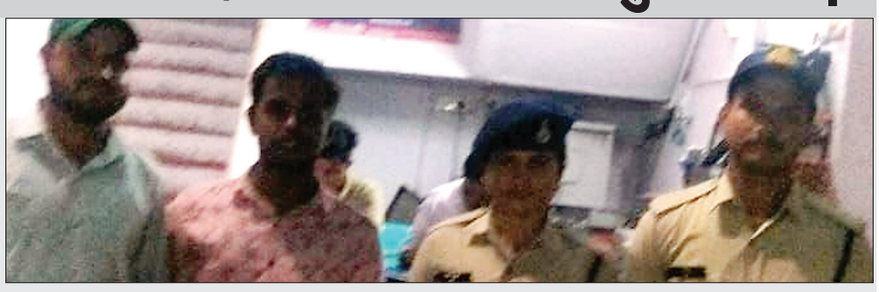

ही जीआरपी जबलपुर की टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर उक्त बालक को सुरक्षित अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में बालक ने अपना नाम वैभव तिवारी, उम्र लगभग 16 वर्ष, निवासी ग्राम मझरा, थाना शंकरगढ़, प्रयागराज उत्तर प्रदेश बताया। बालक के परिजनों से संपर्क स्थापित कर उसके पिता अरुण तिवारी को सूचना दी गई। इसके उपरांत बालक के परिजन निवासी जिला रीवा को थाना जीआरपी जबलपुर बुलाया गया। आवश्यक सत्यापन एवं दस्तावेजी कार्यवाही पूर्ण करने के बाद बालक को उसके परिजन के सुपुर्द किया गया।

35 वारंटी, 10 जुआरी, 12 सटोरिए पकड़ाए

जबलपुर। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल की पुलिस ने पिछले 24 घंटे में फरार 35 म्यादी वारंटियों को गिरफ्तार किया है एवं 70 जमानती वारंट तामील किये गये। इसके अलावा अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 14 व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 66 पाव देशी, अंग्रेजी एवं 34 लीटर कच्ची शराब जप्त की गयी। 10 जुआडियों को जुआ खेलते हुये एवं 12 सटोरियों को सट्टा लिखते हुये रंगे हाथों पकडा गया जुआडियो एवं सटोरियो के कब्जे से 8 हजार 445 रूपये जप्त किये गये । इसी प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर 97 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 40 हजार 800 रूपये समन शुल्क वसूला गया।

अभिनव को किसान मोर्चा, दशरथ को पिछड़ा वर्ग की कमान

जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल की सहमति से भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह छाबड़ा ने किसान मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसमे जबलपुर महानगर में अभिनव यादव को किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है ।इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल की सहमति से भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसमे जबलपुर महानगर में ी दशरथ पटेल को पिछड़ा वर्ग मोर्चा का

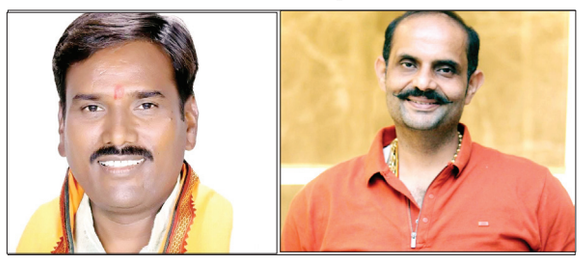

जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोनों मोर्चा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, संभाग प्रभारी प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, सांसद आशीष दुबे, राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकी, जिला प्रभारी आलोक संजर, विधायक अशोक रोहाणी, अभिलाष पांडे, महापौर जगतबहादुर सिंह अन्नू, जेडीए अध्यक्ष संदीप जैन, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, सहित सभी जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओ ने शुभकामनायें दी है।